(2008), 5 एस.सी.आर. 992

संघ लोक सेवा आयोग

बनाम

डॉ.जमुना कुरुप व अन्य

(सिविल अपील नंबर 2294-2329, 2008)

21/02/2008

(सी.जे.आई. के.जी. बालाकृष्णन, आर.वी. रवींद्रन और जे.एम.पांचाल, जे.जे.)

सेवा कानून- दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में युपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती में पदों के लिये दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों को आयु में छूट निर्धारित करना। अभिनिर्धारित- अनुबंधित संविदा कर्मचारी नियमित नियुक्ति के लिये आयु में छूट के हकदार थे। किसी प्रतिबंधात्मक शर्त के अभाव में अभिकर्ता शब्द में दिल्ली नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी में अस्थाई व नियमित दोनों कर्मचारी सम्मिलित है और जिस कारण दोनों आयु में छुट के हकदार है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यूपीएसएसी को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के लिए एक मांग भेजी थी, चूंकि यूपीएससी द्वारा चयन की प्रक्रिया में काफी समय लगने की संभावना थी इसलिए निगम ने एक निश्चित समय व वेतन पर संविदा पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किये। प्रतिवादीगण 1 लगायत 37 संविदा पर नियुक्त थे उनका संविदा का अनुबंध समय-समय पर आगे बढ़ाया जा रहा था। उसके बाद यूपीएससी ने उक्त पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किये जिसमें दिल्ली नगर निगम व अन्य को आयु में छूट प्रदान की गई। प्रतिवादीगण / उत्तरदाता संविदा कर्मचारियों ने इसके विरूद्ध एक रीट याचिका दायर की जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादीगण/उत्तरदाता कर्मचारियों ने जितने वर्षों तक कार्य किया उतने वर्ष आयू में छूट उन्हें प्रदान करने हेतु आदेशित किया।

अपील में अपीलार्थी यूपीएससी ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण / कर्मचारीगण दिल्ली नगर निगम में संविदा कर्मचारी थे तथा वे नियमित या स्थायी कर्मचारी नहीं थे इस कारण वे आयु में छूट प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। न्यायालय ने अपील याचिका खारिज की।

अभिनिर्धारित

1.1- मुंसिपल काॅर्पोरेशन दिल्ली के कर्मचारी-स्थायी/नियमित या कुछ समय के लिए संविदाकर्मी कर्मचारी में कर्मचारी शब्द का अर्थ दिल्ली

मुंसिपल कार्पोरेशन, 1957 एवं यूपीएससी द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में कहीं भी नहीं बताया गया है। साधारणतया कर्मचारी का अर्थ किसी भी रोजगारदाता से तनख्वाह प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। जब कोई भी कर्मचारी रोजगारदाता के वहां संविदाकर्मी के रूप में कार्य करता है तब जब तक कि कोई प्रतिकुल शर्त नहीं हो कर्मचारी में स्थायी, अस्थायी, नियमित, निश्चित अवधि के लिए कार्यरत, संविदाकर्मी तथा तदर्थ के रूप में कार्यरत सभी कर्मचारी एमसीडी के कर्मचारी माने जावेंगे।

1.2 प्रतिवादीगण/उत्तरदाता को संविदाकर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जो अवधि पहले छः महीने की थी जो कि बाद में प्रत्येक छः महीनों में आगे बढ़ाई गई। इस प्रकार ये कर्मचारी भी एमसीडी में आयु में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यदि एमसीडी और यूपीएससी का आशय केवल स्थायी कर्मचारियों को आयु में छूट प्रदान करने का होता तो विज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया जाता कि आयु में छूट प्राप्त करने के लिये केवल स्थायी व नियमित कर्मचारी ही पात्र हैं। एमसीडी में कार्यरत अभिकर्ता में संविदा के रूप में कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित हैं इस कारण उच्च न्यायालय के द्वारा आयु में छूट प्रदान किये जाने के निर्णय में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1.3 यूपीएससी को रोके गये परिणाम घोषित करने का व ऐसे प्रतिवादीगण/उत्तरदाता कर्मचारी जो इस न्यायालय के अंतरिम आदेश से

परिक्षा में सम्मिलित हुये थे, को हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्देशानुसार आयु में छुट प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

रोशनलाल टंडन बनाम भारत संघ, 1968 (1) *एससीआर* 185, *दिनेशचंद्र संपमा बनाम असम राज्य,* 1977(4) *एससीसी* 441.

सिविल अपीलीय निर्णय- सिविल अपील संख्या 2294-2323/2008

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26.04.2004 से उत्पन्न, जो कि डब्ल्यू.पी.नंबर 4787-4823/2004 में पारित किया गया।

उपस्थित- रंजीत कुमार, ललित मोहनी भट्ट, हेतु अरोड़ा, नवीन आर., रामेश्वर प्रदान गोयल, प्रदीप गुप्ता, के.के. मोहन, सुरेश भारतीय, संजीव सेन, प्रवीण स्वरूप, रविकांत जैन, डाॅक्टर कैलाशचंद्र, आशा जी. नायर, अशोक भान (डी.एस. माहरा के लिए)

सी.जे.आई. के.जी. बालाकृष्णन

1. याचिका स्वीकार की गई। उभय पक्ष को सुना गया।

2. संघ लोक सेवा आयोग (संक्षिप्त में यूपीएससी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 4787-4823/2004, दिनांक 26.04.2004 के विरूद्ध अपील दायर की।

3. दिल्ली नगर निगम (प्रतिवादी संख्या 38 संक्षेप मेंे निगम या एमसीडी) ने यूपीएससी/अपीलकर्ता को 45 आयुर्वेदिक वेद्यों (आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी) की भर्ती के लिये मांग भेजी थी। चूंकि यूपीएससी द्वारा चयन की प्रक्रिया में काफी समय लगने की संभावना थी, इसलिए निगम ने दिनांक 18.10.2000 को एक विज्ञापन जारी कर 10,000/- रूपये के निश्चित वेतन पर अनुबंध नियुक्ति (वाॅक इन इंटरव्यू के आधार पर) छः महीने की अवधि या ऐसे समय तक जब तक ऐसे पद यूपीएससी के माध्यम से नियमित आधार पर भरे जाते हैं जो भी पहले आवे के लिये आवेदन आमंत्रित किये।

4. उत्तरदाता/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 37 ने ऐसे संविदात्मक रोजगार के लिए आवेदन किया था और उन्हें अप्रेल 2001 में नियुक्त किया गया था व उक्त विज्ञापन के अनुसार उत्तरदाता/प्रतिवादीगण को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। यूपीएससी चयन में देरी होने के कारण अक्टूबर 2001, मई 2002, अक्टूबर 2002, मई 2003 और अक्टूबर 2003 में कार्यालय आदेशों द्वारा प्रतिवादीगण/ उत्तरदाता की अनुबंध नियुक्ति 6-6 महीने की अवधि के लिए नवीनीकृत की गई थी।

5. विज्ञापन दिनांक 13.3.2004 (27.3.2004 को संशोधित) द्वारा यूपीएससी ने आयुर्वेदिक वैद्यों के 45 पद विज्ञापित किये। उक्त विज्ञापन में आयु सीमा संबंधी नियम में यह निर्धारित किया गया था कि अभ्यर्थी की

आयु सीमा (1.4.2004 को) 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आगे कहा गया है:

> "दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए आयु में पांच वर्ष तक की छूट है, एससी/एसटी के लिए आयु में पांच वर्ष तक की छूट है, और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में ओबीसी के लिए तीन वर्ष तक की छूट है। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के लिए भी पांच साल तक आयु में छूट है।"

6. उत्तरदाता/प्रतिवादीगण ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका संख्या WP(C) Nos.4787-4823/2004 दायर कर निगम को चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त पदों पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीखों से उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्देश देने की मांग की। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रार्थना की, कि यदि उच्च न्यायालय की राय में उन्हें केवल यूपीएससी चयन प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकता है, तो अनुबंध के आधार पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए उन्हें उचित महत्व दिया जाकर उनकी आयु में छूट को पांच साल तक बढ़ाया जाए और जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक थी व जिन्होंने तीन साल तक अनुबंध के आधार पर काम किया था उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से आयुर्वेदिक वैद्यों के नियमित पद से जुड़े परिणामी लाभों और

भत्तों के साथ वेतनमान का लाभ निगम द्वारा दिया जावे। जब रिट याचिका सुनवाई में आई तो उत्तरदाता/प्रतिवादीगण ने दो निर्देश, पहला यह की जाे अधिक उम्र के हो गये थे उन्हें उम्र का लाभ दिया जावे तथा दुसरा यह की नियमित नियुक्त व्यक्तियों के अलावा उन्हें किसी अन्य व्यक्तियों से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिये, जारी किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश का मत था कि रिट याचिकाकर्ता उक्त दो सीमित राहतों को पाने के हकदार थे इसलिए, उन्होंने दिनांक 26.4.2004 के आदेश द्वारा रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि वे रिट याचिकाकर्ता जो 35 वर्ष पार कर चुके हैं, वे निगम में संविदा चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के रूप में काम किए गए वर्षों की संख्या के अनुरूप आयु में छूट के लाभ के हकदार होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियमित आधार पर नियुक्त लोगों को छोड़कर रिट याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को किसी अन्य द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

8. यूपीएससी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर डिविजनल बैंच में एसएलपी दायर की। इस न्यायालय के समक्ष इसी प्रकार का मामला एसएलपी(सी) नंबर 15714/2003 (युपीएससी बनाम गिरिश जयंती लाल वाघेला) लंबित था और जिन विशेष अनुमति याचिकाओं को मूल रूप से 19.1.2005 को वाघेला के मामले से जोड़ा गया था, लेकिन

बाद के आदेश दिनांक 1.12.2005 द्वारा उन्हें अलग कर दिया गया और अलग से सुनवाई करने का आदेश दिया गया।

9. यूपीएससी ने तर्क दिया कि 13.3.2004 के विज्ञापन में 'दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट है' शब्द का उद्देश्य केवल एमसीडी के नियमित और स्थायी कर्मचारियों के संबंध में है। यह भी तर्क दिया गया कि अल्पकालिक संविदा कर्मचारी होने के नाते, प्रतिवादीगण 'एमसीडी के कर्मचारी' होने का दावा नहीं कर सकते। इसी न्यायालय द्वारा यूपीएससी बनाम गिरिजा जयंतीलाल वाघेला 2006(2) एससीसी 482 में यह माना था कि अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति उनकी सरकारी सेवक जैसी स्थिति होने का दावा नहीं कर सकते हैं। इस कारण इसमें भी 'एमसीडी के कर्मचारियों' में संविदा/अनुबंध कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।

10. उत्तरदाता/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वाघेला का निर्णय उत्तरदाता/प्रतिवादीगण पर लागू नहीं होता क्योंकि उन्होंने सरकारी कर्मचारी होने का दावा नहीं किया था। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि प्रतिवादीगण ने एमसीडी के कर्मचारियों के रूप में आयु में छूट का दावा किया था, जो विशेष रूप से विज्ञापन में प्रदान किया गया था। हमने पहले ही देखा है कि यूपीएससी विज्ञापन (संख्या एसपीएल-03-2004) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों

के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट थी। इसलिए, विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या 'एमसीडी के कर्मचारी' शब्द को केवल एमसीडी के स्थायी या नियमित कर्मचारियों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जैसा कि यूपीएससी ने तर्क दिया है या अनुबंध कर्मचारियों सहित एमसीडी के सभी कर्मचारियों के लिए, जैसा कि प्रतिवादीगण द्वारा तर्क दिया गया है।

11. यहां तक कि अगले वर्ष के लिए यूपीएससी भर्ती विज्ञापन (विज्ञापन संख्या एसपीएल-54-2005 दिनांक 23.7.2005 इन मामलों के लंबित रहने के दौरान जारी किया गया) में दिल्ली नगर निगम में चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के 16 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे (और एनडीएमसी और केंद्र शासित प्रदेशों में समान पदों के लिए) जिसमें आयु में निम्नानुसार छूट प्रदान की गई है:

> "आयु: सामान्य अंतिम तिथि पर 35 वर्ष से अधिक नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 38 वर्ष से अधिक नहीं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 40 वर्ष से अधिक नहीं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्देशों के अनुसार छूट एनडीएमसी/एमसीडी सहित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पांच वर्ष तक जारी किए जाते हैं।

एनडीएमसी और एमसीडी के कर्मचारियों के लिए क्रमशः एनडीएमसी और एमसीडी में पदों के संबंध में आयु में पांच वर्ष तक की छूट है।"

इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 9.12.2005 द्वारा सन् 2005 के विज्ञापन के संबंध में अधिक उम्र वाले उत्तरदाता/प्रतिवादीगण को इस शर्त के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी कि यूपीएससी अगले आदेश तक परिणाम प्रकाशित नहीं करेगा। बाद के आदेश दिनांक 9.3.2007 द्वारा, उक्त अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया गया और यूपीएससी को परिणाम प्रकाशित करने की अनुमति दी जाकर एमसीडी को यूपीएससी द्वारा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। हमें सूचित किया गया है कि यूपीएससी ने न तो परिणाम घोषित किए हैं और न ही एमसीडी ने नियुक्तियां की हैं। जैसा है वैसा ही रखा।

12. एमसीडी में पदों पर भर्ती दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (संक्षेप में 'अधिनियम') द्वारा शासित होती है। अधिनियम की धारा 90 व्यक्तियों की स्थायी पदों या अस्थायी पदों पर नियुक्ति पर विचार करती है। धारा 90(6) में प्रावधान है कि स्थायी समिति आयुक्त की सिफारिशों पर छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई श्रेणी ए या श्रेणी बी पद सृजित कर सकती है। धारा 92 में प्रावधान है कि कर्मचारियों को स्थायी या अस्थायी नियुक्त करने की शक्ति आयुक्त में निहित होगी। धारा 96 में

प्रावधान है कि किसी भी श्रेणी ए पद पर कोई नियुक्ति यूपीएससी के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी, लेकिन एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी कार्यवाहक या अस्थायी पद पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए ऐसा कोई परामर्श आवश्यक नहीं है।

13. 'कर्मचारी' शब्द को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में परिभाषित नहीं किया गया है, न ही इसे यूपीएससी के विज्ञापन में परिभाषित किया गया है। 'कर्मचारी' का सामान्य अर्थ नियोक्ता द्वारा वेतन या मजदूरी पर नियुक्त कोई व्यक्ति है। जब रोजगार का कोई अनुबंध होता है, तो नियोजित व्यक्ति कर्मचारी होता है और नियोजित व्यक्ति नियोक्ता होता है। किसी भी प्रतिबंधात्मक परिभाषा के अभाव में, 'कर्मचारी' शब्द में स्थायी या अस्थाई, नियमित या अल्पकालिक, संविदात्मक या तदर्थ दोनों शामिल होंगे इसलिए एमसीडी द्वारा नियोजित सभी व्यक्ति चाहे स्थायी हों या संविदा पर, 'एमसीडी के कर्मचारी' होंगे। प्रतिवादीगण जिनको एमसीडी द्वारा शुरू में छह महीने की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद अनुबंध अवधि को समय-समय पर छह-छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया, वे सभी एमसीडी के कर्मचारी थे इसलिए वे आयु में छूट का लाभ पाने के हकदार है। यदि एमसीडी और यूपीएससी का इरादा केवल स्थाई कर्मचारियों को आयु में छूट देने का था, तो विज्ञापन में यह होना चाहिए था कि आयु में छूट केवल एमसीडी के

स्थायी या नियमित कर्मचारियों को दी जाएगी या आयु में छूट संविदा या अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में एमसीडी के अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी। तथ्य यह है कि 'एमसीडी के कर्मचारी' शब्द किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, से यहां यह स्पष्ट है कि भर्ती में संविदा कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को शामिल करने का इरादा था इसलिए हमें आयु में छूट का लाभ देने के उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण नहीं मिलता है।

14 अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया की विज्ञापन में एमसीडी के कर्मचारियों और भारत सरकार के कर्मचारियों को आयु में छूट दी गई थी, और 'स्थाई' या 'नियमित' शब्दों का उपयोग 'सरकारी कर्मचारियों या एमसीडी के कर्मचारियों के संदर्भ में नहीं किया गया था। वाघेला (सुप्रा) केस में, इसी न्यायालय द्वारा समान परिस्थितियों में नियोजित व्यक्तियों के लिये जो की संविदाकर्मी के रूप में ज्वाइनिंग की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए या यूपीएससी द्वारा नियमित आधार पर कर्मचारी चुने जाने तक कार्य में लगे हुये है, को सरकारी कर्मचारी नहीं माना है और इसी सिद्धांत पर, 'एमसीडी के कर्मचारी' शब्द में एमसीडी का अनुबंध कर्मचारी शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हो सकते है क्योंकी वाघेला (सुप्रा) केस एक सरकार द्वारा अनुबंध रोजगार से संबंधित है जबकि इस मामले में अनुबंध रोजगार एक

नगर निगम द्वारा है। वाघेला मामले में इस न्यायालय द्वारा यह मानने का कारण कि एक संविदा कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं था, 'सरकारी सेवक' शब्द के विशेष अर्थ को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। रोशनलाल टंडन बनाम भारत संघ 1968 (1) एससीआर 185 में संविधान पीठ के निर्णय और दिनेश चंद्र संपमा बनाम असम राज्य 1977 (4) एससीसी 44 में यह माना गया है कि सरकार के अधीन रोजगार स्थिति का मामला है न कि अनुबंध का, भले ही ऐसी स्थिति का अधिग्रहण एक अनुबंध से पहले हो सकता है; और सरकार के अनुबंध सरकार के कर्मचारी इन शर्तों द्वारा शासित होते थे और उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा नहीं मिलता था, न ही वे संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाये गए नियमों द्वारा शासित होते थे, न हीं उन्हें अनुच्छेद 311 के तहत उन्हें संरक्षण प्राप्त था। हालांकि नगर निगम या अन्य वैधानिक निकायों के स्थायी कर्मचारी ऐसे वैधानिक नियमों द्वारा शासित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त नहीं है इसलिए, सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में प्रस्तुत वाघेला का निर्णय 'एमसीडी के कर्मचारी' शब्द की व्याख्या करने में कोई सहायता नहीं कर सकता है इसी वजह से इन मामलों को वाघेला की सुनवाई से अलग कर दिया गया था ।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इन अपीलों को खारिज करते हैं। हम यूपीएससी को इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुपालन में

परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिवादीगण/उत्तरदाताओं के रोके गए परिणामों को घोषित करने और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आयु में छूट का लाभ देने का भी निर्देश देते हैं।

अपीले खारिज की गई ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रताप सिंह राठौड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।